# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
## *Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)*

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730


पत्रांक– 825 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / दिनांक 4 / 09 / 2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ( कुल लम्बाई 10 कि0मी0 ) हेतु 3.64 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक सं0 500 / 12–1, दिनांक, बड़कोट, 26.08.2017 एवं कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/9709/2015 में लगायी गयी ई0डी0एस0 क्वेरी में बिन्दु सं0 06, 08, 09 एवं 10 पार्ट–II की है। जोकि आपके स्तर से निराकरण किया जाना है एवं शेष अन्य बिन्दु पार्ट–I में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है–

| आपत्ति | निराकरण |
|---|---|
| 1- KML file of the proposed road uploaded online at para-C(ii) of part-I Shows presence of private land adjoining to the forest from where the road starts. Keeping in view the involvement of 3.290 ha of Reserve Forest land and 528 trees on forest land, the State Gove. May explore possibility of exploring alternate alignment or the first few KM of the proposed alignment to reduce the extent RF land and number of trees. | Part-I ऑनलाईन Para के C(ii) में संलग्न KML file में तकनिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से चयनित मार्ग के समरेखण में न्यूनतम 528 वृक्ष आरक्षित वन भूमि एवं 8 वृक्ष नाप भूमि कुल 536 वृक्ष बाधित हो रहे हैं, जो न्यूनतम हैं। आरक्षित वन भूमि 3.290 है0 एवं सिवील सोयम 0.350 है0 भूमि कुल वन भूमि 3.640 है0 को 7 मी0 चौ0 में अध्यारोपित किया गया है ताकि न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। तथा न्यूनतम प्रयुक्त वनभूमि का जिलाधिकरी द्वारा प्रमाण पत्र, मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वनभूमि का उपयोग का प्रमाण पत्र एवं इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने का प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है। यह मोटर मार्ग ग्राम स्यालना, भंसाड़ी को संयोजित करेगा, जिनकी जनसंख्या 1178 है अतः अध्यारोपित की जाने वाली वन भूमि जनहित में न्याय संगत है । अन्य कोई भी वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही है, चूकि वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा 10 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करनी पड रही है अतः जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है। (संलग्नक – B-1-2-3 |
| 2- FRA certificate uploaded at para-K Part-I online is undated and the proceedings of the meeting of Sub-Divisional Level Committee and meetings of the Gram Sabhas of the 2 villages invole in this proposal is not provided. | Part-I ऑनलाईन Para K में वनाधिकार अधिनियम–2006 एफ0आर0ए0 के सभी प्रपत्र यथास्थान अपलोड कर हार्ड प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। (संलग्नक – A-1-2-3-4-5-6-7 |
| 3- At online Part-I para-L (iv) (b), the area of this patch of CA is shown as 6.076 ha whereas in the Ownership proof uploaded at L (iv)(f) Part-I only 3.64 ha Civil Land in Syalna village has been mentioned to be earmarked for CA. Fuitability certificate for CA area (village pali) o some other road named Pujar Gaon to Pali M/R has been uploaded. | Part-I ऑनलाईन Para L के (IV) (b), (f) एवं MOU, (g) में यथास्थान संशोधित प्रपत्र अपलोड कर हार्ड प्रति संलग्न की जा रही हैं। (संलग्नक – C-1-2 |
| 4- The details of CA area for patch 2 uploaded at para-L (iv) area of forst land proposed for CA is not mentioned correctly. Further, in the MOU at L(iv) (g) Part-I, suitability certificate for CA area (village Pali) of some other road named Pujar Gaon to Pali M/R has been uploaded, In addition, in the non-encumbrance certificate at L (iv) (h) Part-I online, certificate of minimum use of forest land has been uploaded. | Part-I ऑनलाईन Para L के (IV), (f), MOU, (g) एवं Non-encumberance certificate सम्बन्धित संशोधित सभी प्रपत्र यथास्थान अपलोड कर हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक – C-1-2 |

| | | |
|---|---|---|
| 5- | As per Decision Support System (DSS) Analysis in KML file of area proposed for CA uploaded in Part I online the extent of area is 6.62 ha for patch-1 instead of 6.076 ha and 1.74 ha for patch-2 instead of 1.204 ha area proposed or CA. Further, 2 ha area of patch-1 and ha 1 ha area of patch-2 is on Moderately dense Forest (MDF). State govt. may upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA after excluding the MDF area. Revised digital map may also be uploade/provided accordingly showing coordinates for correct extent of area proposed for CA. | ऑनलाईन Part-I में CA के संशोधित डिजिटल मैप (जियोरिफरेन्स), KML file जोकि one patch में 3.64 है0 का क्षेत्रफल है। सभी मानचित्रों का यथास्थान अपलोड कर हार्ड प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक -C-2-3 |
| 6- | In the Ca scheme uploade as additional II online the CA area is mentioned as Bhansadi Soyam whereas at pare-13 (i) Part-II and in other documents of CA like Ownership proof, non-encumbrance certificate etc. the area is shown as Syalana Soyam. | ऑनलाईन Part-I में CA हेतु जिलाधिकारी द्वारा दी गयी भूमि ग्राम स्यालना में है, जोकि स्पष्ट है। इस आपत्ति का निराकरण Part-II में स्यालना किया जाना है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को संशोधन हेतु अभिलेख संलग्न किये गये है। अतः इस क्वेरी का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट, उत्तरकाशी द्वारा होना है। (संलग्नक -D |
| 7- | As per muck disposal plan attached as additional document online Part-I the muck is proposed to be disposed at 5 muck dumping points on forest/Civil land. However, this requirement of forest/Civil land for muck dumping has not been included in the forest land proposed for diverdion as the component wise breakup at para-B 2.4 of online Part-I shows the whole 3.64 ha forest land for foad construction. In addition, MOC of few villagers for dumping muck on their private land are also provided/uploaded which is not understood. | चूंकि इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मलवा निस्तारण (Muck disposal) कास्तकारों की नाप भूमि में किया जाना है। तथा Muck disposal हेतु ग्रामीणों की स्पष्ट NOC की हार्ड प्रति भी प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक -E-1-2 |
| 8- | In the additional documents at sr. no. 5 uploaded in Part-I the density is mentioned as 0.4 whereas in para-4 (ii) of Part-II online the density is mentioned as 0.5 may indicate correct density and revise NPV bill also if required. | चूंकि Part-I में संलग्न वनस्पति घनत्व (density) 0.4 है, तथा प्रभाव पत्र में भी 0.4 ही है। अतः इस क्वेरी का निराकरण हेतु अभिलेख संलग्न कर DFO बड़कोट उत्तरकाशी को part-II में संशोधन हेतु सूचित किया गया है। जिसका निराकरण उनके स्तर से किया जाना है। (संलग्नक - F |
| 9- | In District Profile fiven in Part II the data given about CA stipulated is not commensurate with the forest land diverted since against 135.1275 ha land diverted 224.62 ha CA have been shown stipulated. This may be reviewed. | यह आपत्ति part-II से सम्बन्धित है। जिसका निराकरण भी प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है। (~~संलग्नक ---~~) |
| 10- | At para-15 of online Part-II, the date of visit is mentioned as 01.12.2015 whereas in the Site Inspection eport the date of inspection is mentioned as 29.07.2013. | जैसा कि स्पष्ट है कि साईट निरीक्षण रिर्पोट मे अंकित तिथि 29.07.2013 है, जिसकी छाया प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न की जा रही है एवं आपसे अनुरोध है कि आवश्यक संशोधन part-II में प्रभागीय वन DFO बड़कोट द्वारा ही किया जाना है। अतः आपत्ति का निराकरण DFO स्तर से होना है। (संलग्नक - G |

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है एवं आपसे अनुरोध है कि Part-II में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अपने स्तर से करते हुये उक्त प्रस्ताव को जनहित में अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/पुरोला /तदिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फोरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

संलग्नक – B-1

(35)

## वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमााण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्यालना - अन्साड़ी मोटर मार्ग में प्रयुक्त होने वाली भूमि के निर्माण हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया। किन्तु अन्य विकल्पों पर अधिक भूमि तथा अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण प्रस्तावित समरेखण ही स्वीकृत किया गया हैं। इस समरेखन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।

J.E.

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

परियोजना का नामः– स्यालना से भन्साडी मोटर मार्ग।

## न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यालना से भन्साडी मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि में कार्यो हेतु 3.640 हे० वन भूमि प्रयोग की जायेगी। यह न्यूनतम है। इसके कम भूमि में कार्य करना सम्भव नही है।

1. वन भूमि का प्रीमियम जो शासन द्वारा निर्धारित होगा याचक विभाग द्वारा वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो शर्ते निर्धारित की जायेगी यह याचक विभाग को मान्य होगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो.नि.वि
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

संलग्नक - 8-3

(48)

न्यूनतम सोयम वन भूमि का प्रमाण–पत्र (जिलाधिकारी द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि स्यालना - अन्साडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

रा० नि०
बड़कोट

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

16/9/15

उप जिलाधिकारी
बड़कोट
उत्तरकाशी

P.M.G.S.Y. Unit
Purola (Uttarkashi)

# जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.05 0.1 0.2 Km

**Scale - 1:3,500**

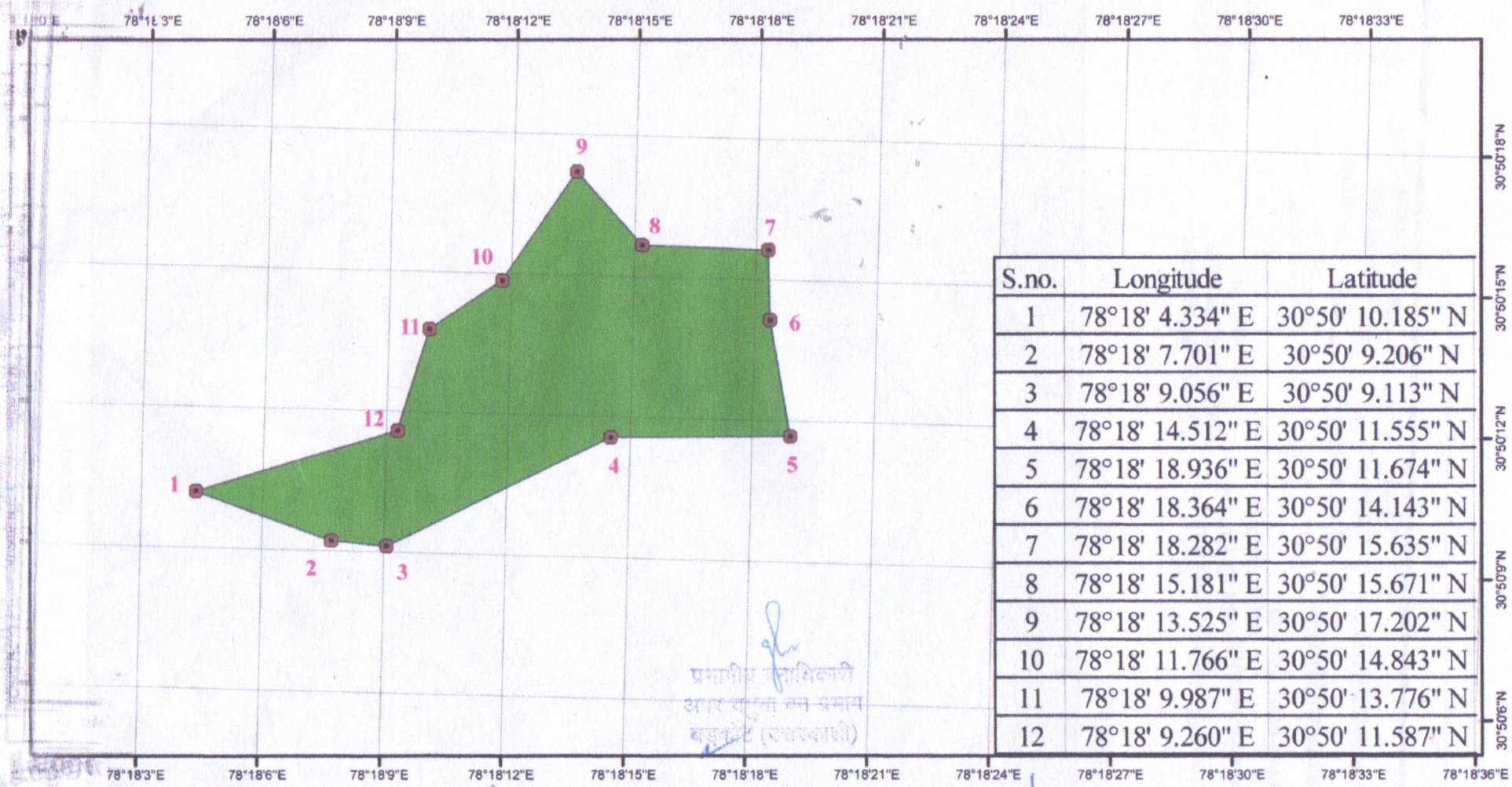


| S.no. | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | 78°18' 4.334" E | 30°50' 10.185" N |
| 2 | 78°18' 7.701" E | 30°50' 9.206" N |
| 3 | 78°18' 9.056" E | 30°50' 9.113" N |
| 4 | 78°18' 14.512" E | 30°50' 11.555" N |
| 5 | 78°18' 18.936" E | 30°50' 11.674" N |
| 6 | 78°18' 18.364" E | 30°50' 14.143" N |
| 7 | 78°18' 18.282" E | 30°50' 15.635" N |
| 8 | 78°18' 15.181" E | 30°50' 15.671" N |
| 9 | 78°18' 13.525" E | 30°50' 17.202" N |
| 10 | 78°18' 11.766" E | 30°50' 14.843" N |
| 11 | 78°18' 9.987" E | 30°50' 13.776" N |
| 12 | 78°18' 9.260" E | 30°50' 11.587" N |

**Legend**

- GPS Co ordinates
- Ca Land

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि०
पडकोट उत्तरकाशी

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कार्य योजना वन प्रभाग
पौड़ी – उत्तरकाशी

संलग्नक - F

(29)
(30)
(30)

स्थापना भू-साड़ी मोटर मार्ग

घनत्व एवं वन्य जीव का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना में जो वन भूमि प्रयोग की जायेगी उसका वानस्पतिक घनत्व ....0.4.....से ~~कम~~/अधिक है एवं वन्य जीव के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण नही है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
(उत्तरकाशी)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

वन क्षेत्राधिकारी
रुपाई वन प्रभाग
बड़कोट

संलग्नक = 9

(67)

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from E.E. I.D. P.W.D. Uttarkashi Uttarakhand ----------for diversion under FCA-1980 ) of 3.640 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of ----Syalna Bhamsari Motor Marg---------- The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-29-7-2013

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring --3.640--ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.- - No -

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.- - No - NIL

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. ×

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature) डी० के० सिंह

Place:- Barkot

Date... 29/7/2013

Name [Girdhari Sonar]

Designation प्रभागीय वनाधिकारी

Office Seal प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

## :: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्रांक संख्या 114/पी.एम.जी.एस.वाई. दिनांक 20.02.2015 के द्वारा खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.640 है0 भूमि एवं पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि के बदले दुगुने सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, बड़कोट ने अपने पत्र संख्या मेमो/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु ग्राम स्यालना की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 6324 म. 6.076, 6557 म. 1.204 है0 कुल 7.280 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9 (3)ड. की प्रस्तावित की गयी जिसका नक्शा-खसरा एवं उद्वरण खतौनी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी ।

उक्त के अतिरिक्त पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बडोगी की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 16 के खसरा संख्या 4741म. 0.850 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. की प्रस्तावित की गयी तथा प्रसतावित भूमि का नक्शा-खसरा एवं उद्वरण खतौनी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि **शासनादेश संख्या 397/XVIII (II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012** के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनोश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये ~~किये~~ प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त आख्या खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु ग्राम स्यालना की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या **6324 म. 3.640 है0** भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9 (3)ड. की एवं पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बडोगी की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 16 के खसरा संख्या **4741 म. 1.925 है0** भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. की भूमि को वन अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की जाती है ।

( इन्दुधर बौड़ाई )
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

## कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2085/ग्यारह-9 (2014-15) दिनांक 23 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

582
R.K.
अनुपालन सुनिश्चित
हसीलदार
बड़कोट
30/03/15

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–7 के अन्तर्गत उरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग का निर्माण ।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि उरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमी खसरा संख्या 6324 कुल रकवा 3.64 हे0 उत्तराखण्ड 9(3)ड. में दर्ज है तथा यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है ।

तहसीलदार
बड़कोट

उपजिलाधिकारी
बड़कोट

(राजीवचन्द रमोला)
Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज – 7 के अर्न्तगत स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग का नव निमार्ण ( लम्बाई 10.53 किमी0 )

0 0.025 0.05 1.00 Km

Scale - 1:2,000

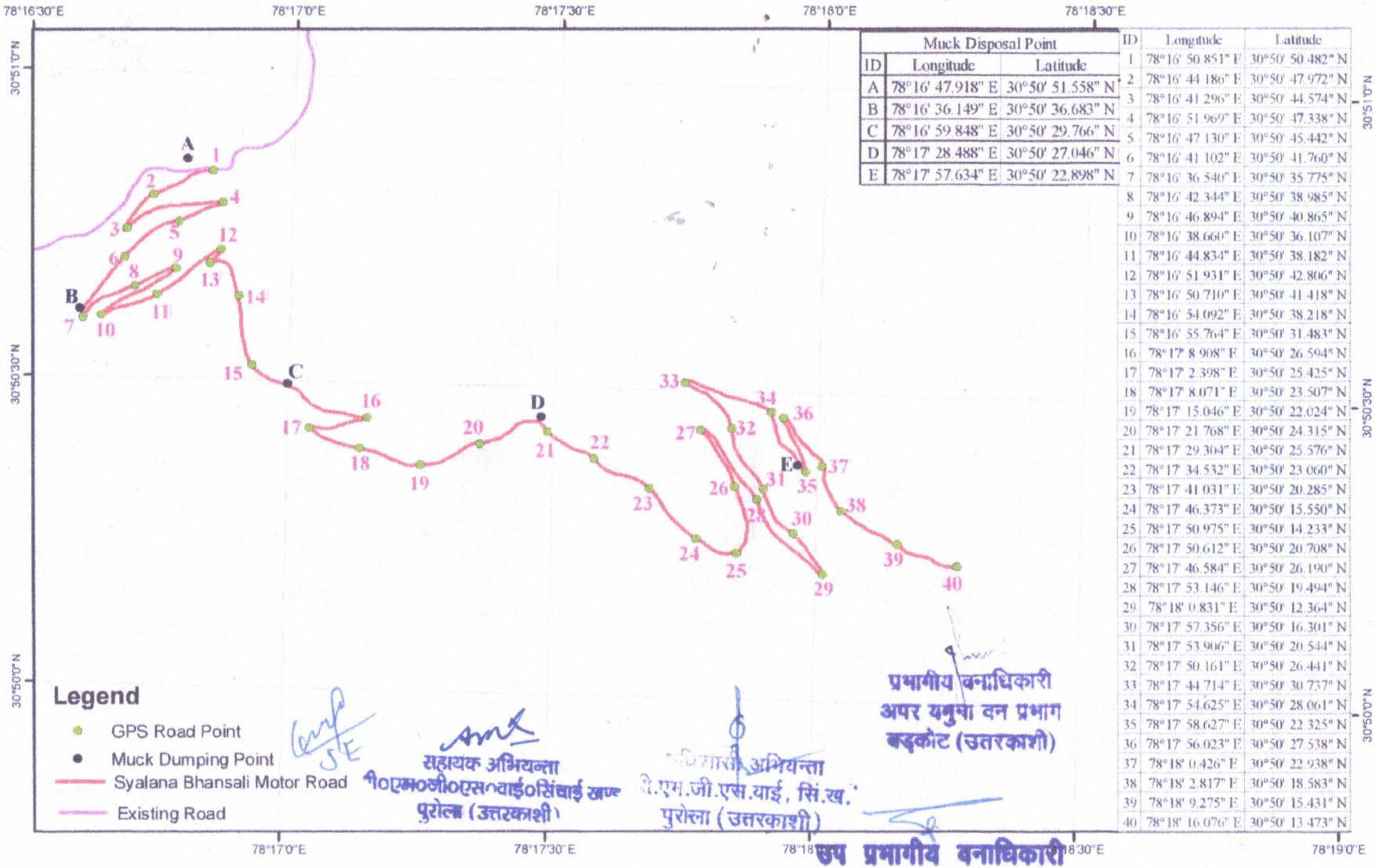


| Muck Disposal Point | | |
|---|---|---|
| ID | Longitude | Latitude |
| A | 78°16' 47.918" E | 30°50' 51.558" N |
| B | 78°16' 36.149" E | 30°50' 36.683" N |
| C | 78°16' 59.848" E | 30°50' 29.766" N |
| D | 78°17' 28.488" E | 30°50' 27.046" N |
| E | 78°17' 57.634" E | 30°50' 22.898" N |

| ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | 78°16' 50.851" E | 30°50' 50.482" N |
| 2 | 78°16' 44.186" E | 30°50' 47.972" N |
| 3 | 78°16' 41.296" E | 30°50' 44.574" N |
| 4 | 78°16' 51.969" E | 30°50' 47.338" N |
| 5 | 78°16' 47.130" E | 30°50' 45.442" N |
| 6 | 78°16' 41.102" E | 30°50' 41.760" N |
| 7 | 78°16' 36.540" E | 30°50' 35.775" N |
| 8 | 78°16' 42.344" E | 30°50' 38.985" N |
| 9 | 78°16' 46.894" E | 30°50' 40.865" N |
| 10 | 78°16' 38.660" E | 30°50' 36.107" N |
| 11 | 78°16' 44.834" E | 30°50' 38.182" N |
| 12 | 78°16' 51.931" E | 30°50' 42.806" N |
| 13 | 78°16' 50.710" E | 30°50' 41.418" N |
| 14 | 78°16' 54.092" E | 30°50' 38.218" N |
| 15 | 78°16' 55.764" E | 30°50' 31.483" N |
| 16 | 78°17' 8.908" E | 30°50' 26.594" N |
| 17 | 78°17' 2.398" E | 30°50' 25.425" N |
| 18 | 78°17' 8.071" E | 30°50' 23.507" N |
| 19 | 78°17' 15.046" E | 30°50' 22.024" N |
| 20 | 78°17' 21.768" E | 30°50' 24.315" N |
| 21 | 78°17' 29.304" E | 30°50' 25.576" N |
| 22 | 78°17' 34.532" E | 30°50' 23.060" N |
| 23 | 78°17' 41.031" E | 30°50' 20.285" N |
| 24 | 78°17' 46.373" E | 30°50' 15.550" N |
| 25 | 78°17' 50.975" E | 30°50' 14.233" N |
| 26 | 78°17' 50.612" E | 30°50' 20.708" N |
| 27 | 78°17' 46.584" E | 30°50' 26.190" N |
| 28 | 78°17' 53.146" E | 30°50' 19.494" N |
| 29 | 78°18' 0.831" E | 30°50' 12.364" N |
| 30 | 78°17' 57.356" E | 30°50' 16.301" N |
| 31 | 78°17' 53.906" E | 30°50' 20.544" N |
| 32 | 78°17' 50.161" E | 30°50' 26.441" N |
| 33 | 78°17' 44.714" E | 30°50' 30.737" N |
| 34 | 78°17' 54.625" E | 30°50' 28.061" N |
| 35 | 78°17' 58.627" E | 30°50' 22.325" N |
| 36 | 78°17' 56.023" E | 30°50' 27.538" N |
| 37 | 78°18' 0.426" E | 30°50' 22.938" N |
| 38 | 78°18' 2.817" E | 30°50' 18.583" N |
| 39 | 78°18' 9.275" E | 30°50' 15.431" N |
| 40 | 78°18' 16.076" E | 30°50' 13.473" N |

SE

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई, सिं.ख.
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट